सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‍वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 486 राँची, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

5 सितम्बर, 2022

विषय: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में ।

ज्ञापांक: 9/पें० (6)-04/2022..143--राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518/वि०पें०दिनांक 09.12.2004 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर राज्यकर्मियों के लिये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद द्‍वारा दिनांक 15.07.2022 की बैठक में कतिपय शर्तो के साथ सहमति दी गई थी ।

शर्तो के आलोक में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित एक Standard Operating Procedure (SOP) विकसित किये जाने हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.08.2022 को सम्पन्न बैठक में कई बिन्दु ओंपरविचार-विमर्श के उपरान्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुशंसा की गयी थी ।

उक्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि संकल्प संख्या 518/वि॰पें॰दिनांक 09.12.2004 द्वारा दिनांक 01.12.2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिनांक 01.12.2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये योजना का क्रियान्वयन हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है:-

1. वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं, उन से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है, कि उन्हें Standard Operating Procedure (SOP) की शर्त मान्य है एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा । वित्त विभाग द्वारा इस निमित्त शपथ-पत्र का प्रारूप विकसित किया जायेगा ।

2. **NSDL** से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा । सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा ।

3. **NSDL** द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा ।

4. झारखण्ड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर दिनांक 01.09.2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है ।

5. शपथ पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करने वाले कर्मियों की नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन से की जा रही 10 (दस) प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती, दिनांक 01.09.2022 (माह सितम्बर, 2022 के वेतन से) से समाप्त हो जायेगी तथा झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियाँ) से कटौती की जायेगी ।

6. सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि **NSDL** से प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जायेगा एवं प्रति वर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निवेशित किया जायेगा और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

7. **NSDL** से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जायेगा एवं कर्मी को यह विकल्प दिया जायेगा कि वे मूल राशि को झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं एवं उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से ही की जायेगी । झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जायेगी ।

8. कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अन्तर्गत कर्मियों एवं सरकार के द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि पर अर्जित ब्याज आदि का समायोजन/गणना हेतु वित्त विभाग अन्तर्गत भविष्य निधि निदेशालय नोडल कार्यालय होगा।

9. दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 01.09.2022 तक के मध्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप उपरोक्त शर्तों के आलोक में पात्र सरकारी सेवक/परिवारों को नियमानुसार लाभदेय होगा। ऐसे सरकारी सेवक, जिनको नई अंशदायी पेंशन योजना में सेवा निवृत्ति उपरांत अथवा सरकारी सेवक के मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके है, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा ।

10. योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा ।

11. नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा ।

उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 01.09.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या-22 के तहत स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 486 - 50